न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :- मनीषा (आर0 ए0 एस)

प्रकरण संख्याः- 170/2018

दायर दिनांकः- 09.03.2018

उनवान

1. जयसिंह पुत्र रामनिवास
2. नारायणी बेवा रामनिवास
3. प्रेम पुत्र रामनिवास
4. रामजीलाल पुत्र श्रवण
5. किलाण पुत्र वीरचन्द
6. चिरंजी पुत्र गंगासहाय
7. रामराय पुत्र गंगासहाय
8. बदरी पुत्र श्रीया
9. रामस्वरूप पुत्र श्रीया
10. लादूराम पुत्र श्रीया

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम राजवास तहसील दौसा जिला दौसा।

(वादीगण)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा राजस्थान।

(प्रतिवादी)

उपस्थित : 1. श्री मिठ्ठन लाल गुर्जर अधिवक्ता वादीगण।

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

दावा- अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 आरटी एक्ट

निर्णय दिनांकः 07/09/2022

वकील मय वादीगण ने एक वाद दावा अधिघोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की ग्राम राजवास तहसील दौसा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 270 रकबा 1.31 है0, खसरा नं0 271 रकबा 3.79 है0, खसरा नं0 273 रकबा 0.23 है0, खसरा नं0 274 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 275 रकबा 0.69 है0, खसरा नं0 276 रकबा 0.65 है0, खसरा नं0 277 रकबा 0.39 है0, खसरा नं0 278 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0 279 रकबा 0.43 है0, खसरा नं0 280 रकबा 1.20 है0, खसरा नं0 281 रकबा 0.27 है0 एवं खसरा नं0 282 रकबा 1.34 है0 कुल किता 12 कुल रकबा 10.72 है0 भूमि तन मौजा राजवास में स्थित है। उक्त भूमि के साबिक खसरा नम्बर 34/1 रकबा 9 बिघा 4 बिस्वा, ख0न0 34/2 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, ख0न0 34/3 रकबा 4 बिस्वा, ख0न0 34/4 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा, ख0न0 34/5 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा, ख0न0 34/6 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, ख0न0 34/7 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, ख0न0 34/8 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, ख0न0 34/9 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 41 बीघा 11 बिस्वा दर्ज रिकार्ड था। हाल रिकार्ड का रकबा एवं नक्शा साबिक रिकार्ड मुताबिक अशुद्ध अंकित कर दिया।

वादीगण की खातेदारी भूमि के समीप पश्चिम में राजकीय भूमि हाल ख0न0 335 रकबा 4.14 है0 गै0मु0 आबादी स्थित है, जिसके साबिक ख0न0 43/1 रकबा 8 बिस्वा, ख0न0 43/2 रकबा 16 बिस्वा, ख0न0 43/3 रकबा 16 बिस्वा, ख0न0 43/4 रकबा 16 बिस्वा, ख0न0 43/5 रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा, ख0न0 43/6 रकबा 12 बिस्वा, ख0न0 43/7 रकबा 8 बिस्वा, ख0न0 43/8 रकबा 10 बिस्वा, ख0न0 43/9 रकबा 10 बिस्वा, ख0न0 43/10 रकबा 7 बिस्वा, ख0न0 43/11 रकबा 2 बिस्वा एवं ख0न0 43/12 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 12 कुल रकबा 17 बीघा 8 बिस्वा भूमि सरकार के खाते में दर्ज रिकार्ड थी।

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

वादीगण की आराजीयात का रकबा राजकीय सरकारी भूमि में से भूमि मिलाते हुए बढा दिया गया एवं आराजी खसरा नं0 34/1 के रकबे व शीट शुद्व का हाल ख0न0 270 वादीगण व खसरा नम्बर 335 सीट रकबा प्रतिवादी का अशुद्व दर्ज रेवेन्यू रिकार्ड फरमा दिया गया। प्रतिवादी के हक अधिकार की साबिक भूमि ख0न0 43/7 की उत्तर की ओर बढ़ाकर वादीगण की खातेदारी भूमि को हज्फ फरमा दी गई। साबिक ख0न0 43/8 की भूमि को वादीगण के खाते में अशुद्व (गलत) अंकित फरमाते हुए हाल रकबा वादीगण बढ़ाकर जारी फरमा दिया गया। वादीगण के साबिक ख0न0 34/1 के रकबे सीट में से नजरी नक्शे के साबिक ख0न0 34/1 रकबे शीट में से नजरी नक्शे में दर्शित हल्फ ए0बी0सी0डी0 भाग हज्फ कर प्रतिवादीगण के खाते में गलत अंकित कर दी गई।

वादीपत्र में वादीगण ने अनुतोष चाहा है कि प्रतिवादी के विरूद्व इस की डिक्री पारित की जावे कि वादीगण की साबिक खातेदारी मुताबिक हाल रेवेन्यू रिकार्ड खातेदारी की दुरूस्ती की अधिघोषणा फरमायी जावे कि नजरी नक्शे में हल्फ ए0बी0सी0डी0 भाग की वादीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड किया जावे। वादीगण की वादग्रस्त साबिक आराजी के मुताबिक हाल रेवेन्यू रिकार्ड में दुरूस्ती तरमीम हेतु प्रतिवादी को आदेश देने हेतु निवेदन किया है तथा वादीगण के कब्जे काश्त की साबिक आराजी में किसी प्रकार की दखलदांजी नही करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित करने का अनुतोष चाहा गया है।

वादीगण के द्वारा उक्त वाद न्यायालय में दायर करने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार दौसा को तलबी जारी की गई। पैरोकार सरकार द्वारा दिनांक 28.09.2016 को जवाब दावा पेश किया गया। दिनांक 11.05.2015 को वकील वादी के मौका कमीश्नर नियुक्त करने के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। बहस सुनकर नायब तहसीलदार लवाण को मौका कमीश्नर नियुक्त किया गया। दिनांक 09.11.2016 को वकील वादी एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा मौका कमीश्नर रिपोर्ट नायब तहसीलदार लवाण के स्थान पर नायब तहसीलदार दौसा को कमिश्नर नियुक्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। दिनांक 07.08.2018 को वकील वादी के मौका कमीश्नर नियुक्त करने के प्रार्थना पर वकील वादी को सुना गया।

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

मौका कमीश्नर नियुक्ति के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का कोई औचित्य नही होने के कारण तहसीलदार दौसा को साबिक एवं हाल रिकार्ड मिलान कर तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार दौसा के पत्रांकः एल.आर./2018/10015 दिनांक 30.10.2018 के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाई गई जो दिनांक 12.02.2019 को शामिल पत्रावली की गई।

तहसीलदार दौसा द्वारा अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकित किया गया किः-

1. ग्राम गांगल्यावास हाल खसरा नम्बर 270 रकबा 1.31 है0, खसरा नं0 271 रकबा 3.79 है0, खसरा नं0 273 रकबा 0.23 है0, खसरा नं0 274 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 275 रकबा 0.69 है0, खसरा नं0 276 रकबा 0.65 है0, खसरा नं0 277 रकबा 0.39 है0, खसरा नं0 278 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0 279 रकबा 0.43 है0, खसरा नं0 280 रकबा 1.20 है0, खसरा नं0 281 रकबा 0.27 है0 एवं खसरा नं0 282 रकबा 1.34 है0 कुल किता 12 कुल रकबा 10.72 है0 जो कि पूर्व ख0न0 34/1 लगायत 34/9 से बने हुए है। साबिक व हाल नक्शे का मिलालन करने पर नक्शे में लाल रंग से प्रदर्शित A B C D E F की भूमि जो की 0.10 है0 है।

2. प्रार्थीयान जयसिंह पुत्र रामनिवास हि0 1/72 राहिन एसबीआई शाखा दौसा मूर्तहीन जयसिंह पुत्र रामनिवास हि0 1/12, नाराणी पत्नि बीरबल हि0 1/6, मु0 शान्ति पत्नि गंगासहाय, चिरंजीलाल (बालिग) रामराय (नाबालिग) पि0 गंगासहाय संरक्षक माता शान्ति खुद हि0 1/6 बिलारहन रामजीलाल पुत्र सरवन हि0 1/4 राहिन एसबीआई शाखा दौसा मूर्तहीन कौम गूजर सा0 देह कि खातेदारी की भूमि थी जो कि वर्तमान में ख0न0 335 गै0मु0 आबादी में सम्मिलित कि गई है एवं पूर्व ख0न0 43 हाल ख0न0 335 का भाग जो कि नक्शे में **क ख ग** नाम से दर्शाया गया है। उक्त भाग पूर्व में साबिक ख0न0 43 हाल ख0न0 335 को भाग है । जो कि वादी के खाते में लगा दिए गए है। जिसका क्षेत्रफल भी 0.10 है0 ही होता है।

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

:: आदेश ::

पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया है। वादीगण का साबिक ख0न0 34 का कुल रकबा 41 बीघा 11 बिस्वा का वर्तमान रकबा 10.72 दर्ज रिकार्ड है जो साबिक रिकार्ड की तुलना में हाल रकबा कम नही होने के कारण वादी का वाद खारिज योग्य है।

तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

अन्तिम निर्णय आज दिनांक 07/09/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मनीषा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
दौसा जिला दौसा
दौसा